उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

आ दे श

वाद का प्रकार :– 14 / 2021–22 म्यूटेशन रिवीजन (**Mutation Revision**)

श्रीमती वीणा देवी –बनाम– झारखण्ड सरकार वगै0

अपीलार्थी श्रीमती वीणा देवी पति–श्री रामेश्वर प्रसाद वर्तमान पता–4 / 6 पार्क स्ट्रीट चौबे कॉलोनी पी0एस0 सरस्वती नगर जिला–रायपुर राज्य–छत्तीसगढ स्थायी पता–ग्राम+पो0–गुमला थाना+जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला के दाखिल–खारीज वाद सं0 – 05 / 2020–21 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि से संबंधित दावेदारों को पक्षकार नही बनाकर सरकार को पक्षकार बनाया गया है जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। निम्न न्यायालय को निदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त जमीन से संबंधित सभी दावेदारों को पक्षकार बनाते हुए विहित प्रकिया का पालन कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद को Remand किया जाता है।

निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

23.07.22
उपायुक्त,
गुमला

23.07.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:27:38 +05:30
Location: 192.168.5.104

Scanned with OKEN Scanner